न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2007 (उदयपुर आर्डर)

1. **श्री छोगालाल पिता नाथूलाल जी ब्राह्मण निवासी बूझड़ा मृतक के बजाय :–**

   1/1– श्री कन्हैयालाल पिता छोगालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपु मृतक के बजाय :–

   1/1/1– श्रीमती भंवरीबाई उर्फ गीता देवी पति कन्हैयालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

   1/1/2– श्री नवीन पिता कन्हैयालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

   1/1/3– श्री चन्द्रशेखर पिता कन्हैयालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

   1/2– श्री वैजनाथ पिता छोगालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

   1/3– श्री प्यारेलाल पिता छोगालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

2. श्रीमती किशोरीबाई पत्नी छोगालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता धन्ना जी भील निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा
3. श्री दुर्गाशंकर पिता छोगालाल जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती दुर्गाबाई पुत्री छोगालाल जी पत्नी लज्जाशंकर जी नागदा निवासी बूझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 03–04–2007 प्रकरण संख्या 24/2004 आवंटन

–––/–––

उपस्थित :— 1— श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2— रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 स्वयं
2— श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं.—2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 25—10—2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध नियम—14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम—1970 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी भील है तथा ग्राम बूझड़ा का निवासी है तथा उक्त ग्राम के विपक्षी संख्या—1 श्री छोगालाल के खाते में 6.205 हैक्टर भूमि यानि 29 बीघा भूमि होने के बावजूद तथा विपक्षी संख्या—1 के पुत्र कन्हैयालाल के पुत्र नवीनचन्द्र एवं चन्द्रशेखर को भी (एक ही परिवार को) दिनांक 8—7—2003 को भूमि आवंटित की गई। विपक्षी संख्या—1 को आराजी संख्या—404 रकबा 1.29 हैक्टर व आराजी संख्या 447 रकबा .22 हैक्टर तथा नवीन चन्द्र तथा चन्द्रशेखर को आराजी संख्या 1059 में .05 हैक्टर भूमि इसी दिनांक को आवंटित की गई। नवीनचन्द्र व चन्द्रशेखर नोकरी पैशा है। नवीनचन्द्र व चन्द्रशेखर के पिता कन्हैयालाल के खाते में भी 17 बीघा 8 बिस्वा भूमि है। नवीनचन्द्र, चन्द्रशेखर के पिता प्रधानाध्यापक है। छोगालाल के खाते में 29 बीघा भूमि होते हुए उसे आराजी संख्या 404 व 447 रकबा 1.51 हैक्टर भूमि आवंटित की गई तथा परिवार के अन्य सदस्य को भी भूमि आवंटित की गई। पटवारी ने उक्त भूमियों का विवरण नहीं देकर गलत रिपोर्ट की तथा सलाहकार समिति को झूठे तथ्य पेश किये। अपीलान्ट पात्र नहीं है। उद्घोषणा इत्यादि भी नहीं की गई है। अतएव विपक्षी संख्या—1 व उसकी पत्नी को किये गये आवंटन आराजी संख्या 404 व 447 कूल किता—2 रकबा 1.51 हैक्टर का आवंटन खारिज किया जाय। अपीलान्ट विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब दावा पेश किया तथा कलम संख्य—2 में यह भी कहा कि 25 बीघा भूमि पहाड़ है तथा प्रार्थी का कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा से दिनांक 22—3—2006 को रिपोर्ट तलब की जिसमें छोगालाल के खाता संख्या 164 में 6.205 हैक्टर भूमि व खाता संख्या 165 में .145 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 167 में .67 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा होना बताया तथा उसे आवंटन का पात्र नहीं होना जाहिर किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 3–4–2007 से अपीलान्ट को सद्भावी कृषक एवं पात्र नहीं मानते हुए आराजी संख्या 404 व 447 के आवंटन को निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 3–4–2007 से रूष्ट होकर अपीलान्ट आवंटी विपक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील दिनांक 28–5–2007 को पेश की। अपीलान्ट की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने के कारण उसके कायम मुकाम संस्थित किये गये।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 शिकायतकर्ता दिनांक 12–9–2017 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दिनांक 16–10–2017 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 शिकायतकर्ता द्वारा एक आवेदन पेश कर अपने आवंटन निरस्तीकरण आवेदन को प्रत्याहरित किये जाने का निवेदन कर आवंटन निरस्तीकरण के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट को सुना गया।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिए गये है कि भूमियां मोरूषी जायदाद थी तथा नोशनल शेयर निकाले बिना पात्रता नहीं होना त्रुटिपूर्ण रूप से मानकर आवंटन निरस्त किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी की रिपोर्ट व छोगालाल आवंटी के खाते में नियमों में विहित (कृषि भूमि आवंटन नियम–1970) के नियम 11(1) के अनुसार भूमियां भूमिहीन काश्तकार को आवंटित किये जाने का विहित नियम है तथा स्पष्ट किया गया है कि आवंटी व परिवार के पास पूर्व से स्थित भूमि सहित 4 हैक्टर से अधिक भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा। यहां आवंटी के पास पटवारी की रिपोर्ट व पेश शुदा जमाबन्दी अनुसार तथा अपीलान्ट स्वयं के जवाब में यह कथन कि 25 बीघा भूमि तो पहाड़ है, से स्पष्ट होता है कि आवंटन के समय ही उसके पास 4 हैक्टर से अधिक भूमि है। (6.20 हैक्टर भूमि तो एक ही खाते में एकल छोगालाल के खाते में दर्ज है)। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में अथवा यहां पर भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उक्त भूमि मोरूषी हो अथवा उसमें नोशनल शेयर से अपीलान्ट पात्रता रखता हो। आश्चर्यजनक रूप से शिकायतकर्ता रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी वर्ष 2004 में शिकायत करने व 2007 में आवंटन निरस्त हो जाने के बाद 2007 में अपील पेश होने के 10 वर्षो बाद अज्ञात कारणों से हृदय परिवर्तन कर आवंटन निरस्तीकरण के आवेदन को प्रत्याहरित करना चाहता है। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन निर्णय एवं पेश शुदा साक्ष्यों के अनुसार आवंटी अपीलान्ट विपक्षी की पात्रता नहीं होना सुस्पष्ट है। जब आवंटी की पात्रता ही नहीं है तथा राजस्व कर्मियों द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक रिपोर्ट की जाकर आवंटी को पात्र बताया गया है तो स्पष्टतया नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन निरस्त किया जाना पूर्णतया तर्कसंगत है। भले से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत प्रत्याहरित कर ले। शिकायत प्रत्याहरित कर लेने से आवंटी की अपात्रता पात्रता में नहीं बदल जाती तथा तथ्यों को आवंटी व राजस्व कर्मियों द्वारा छिपाये जाने व मिस–रिप्रजेन्टेशन होन के कारण उक्त आवंटन निरस्तीकरण के अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 प्रार्थी शिकायतकर्ता प्रत्याहरण आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रमाणित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विधि अनुरूप आवंटन निरस्तीकरण के अधिनस्थ न्यायालय के विवेकपूर्ण निर्णय दिनांक 3–4–2007 को जो कि तथ्यों एवं विधि के अनुकूल है, बहाल रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर